

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii)]

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2013

S.O.____ (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to Schedule I of the said Act, namely:-

In the said Schedule, in paragraph 1B, after clause (XVa), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xvb) construction of play fields”

[No.L-12055/1/07-NREGA(16028)]



14/1/13

RAJESH BHUSHAN, Jt. Secretary.

Note.- Schedule 1 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O.323(E), dated the 6th March, 2007 and subsequently amended vide the following numbers:-

- (i) S.O. 88(E) dated the 14th January, 2008
- (ii) S.O. 1489(E) dated the 18th June, 2008
- (iii) S.O. 3000(E) dated the 31st December, 2008
- (iv) S.O. 1824(E) dated the 22nd July, 2009
- (v) S.O. 1860(E) dated the 30th July, 2010
- (vi) S.O. 1484(E) dated the 30th June, 2011
- (vii) S.O. 2202(E) dated the 22nd September, 2011
- (viii) S.O. 2423(E) dated the 21st October, 2011
- (ix) S.O. 1022(E) dated the 4th May, 2012 ands
- (x) S.O. 2754(E) dated the 21st November, 2012

ग्रामीण विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 14 जनवरी, 2013

सा.आ. (अ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समयोचित है, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची I में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अनुसूची में पैराग्राफ 1 ख में खण्ड (XV क) के बाद निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(XV ख) खेल के मैदानों का निर्माण"

[सं.L-12055/1/07- नरेगा (16028)]

14/1/13

राजेश भूषण, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची I में पहला संशोधन दिनांक 6 मार्च, 2007 की सं. सा.आ.323(अ) के द्वारा किया गया था और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित संख्याओं के जरिए संशोधन किए गए थे:-

- (i) सा.आ.सं. 88(अ), दिनांक 14 जनवरी, 2008
- (ii) सा.आ.सं. 1489(अ), दिनांक 18 जून, 2008
- (iii) सा.आ.सं. 3000(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2008
- (iv) सा.आ.सं. 1824(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2009
- (v) सा.आ.सं. 1860(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2010
- (vi) सा.आ.सं. 1484(अ), दिनांक 30 जून, 2011
- (vii) सा.आ.सं. 2202(अ), दिनांक 22 सितम्बर, 2011
- (viii) सा.आ.सं. 2423(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2011
- (ix) सा.आ.सं. 1022(अ), दिनांक 4 मई, 2012 और
- (x) सा.आ.सं. 2754(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2012